

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक-वा0क0अधि0/युगल पीठ/ /2021::दि0::लखनऊ:सितम्बर, 15, 2021

::संशोधित आदेश::

मुख्यालय के आदेश संख्या-1570/2021 दिनांक 14.09.2021 के द्वारा सदस्य पीठ-1, 2 व 3 लखनऊ के लम्बित वादों के निस्तारण हेतु न्यायिक सदस्य पीठ-1, लखनऊ एवं सदस्य पीठ-2, कानपुर की युगल पीठ दिनांक 21.09.2021 से दिनांक 23.09.2021 तक गठित की गयी है।

सदस्य पीठ-2, कानपुर द्वारा सूचित किया गया है कि उन्हें चिकित्सीय परीक्षण हेतु पूर्व नियत तिथि दिनांक 21.09.2021 को एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ जाना है, जिस कारण वे अवकाश पर रहेंगे।

अतः मुख्यालय के उक्त आदेश दिनांक 14.09.2021 में आंशिक संशोधन करते हुए दिनांक 21.09.2021 को गठित युगल पीठ को निरस्त करते हुए नियत वादों को दिनांक 24.09.2021 के लिए नियत किया जाए। इस प्रकार दिनांक 22.09.2021 से दिनांक 24.09.2021 तक युगल पीठ का गठन किया जाता है। शेष स्थिति यथावत रहेगी।

श/ज/14

(विनय सिंह)

एच0जे0एस0

प्रभारी अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन:वा0क0अधि0/युगल पीठ/1587/2021, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-1, 2 व 3, लखनऊ।
2. सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-2, कानपुर।
3. मुंसरिम/पेशकार/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता/विवरण/कम्प्यूटर), मुख्यालय।
4. सम्बन्धित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से

a

प्रभारी निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।